डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255] रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 नवम्बर 2001—कार्तिक 21, शक 1923

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2001

आदेश

क्रमांक/एफ-4611/सह./2001.—राज्य में वर्तमान में 6 जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (आगे इनको केवल 'विकास बैंक' कहा गया है) के कार्यक्षेत्र में 15 राजस्व जिले हैं. नए जिलों के गठन के पूर्व प्रत्येक जिला के कार्यक्षेत्र में पृथक् विकास बैंक कार्यरत होकर जिला में वित्त पोषण करते थे. यह व्यवस्था वर्तमान में नए जिलों में पृथक् से नहीं होने से समन्वय की समस्यायें उत्पन्न हुई हैं, जिससे जनहित में नए जिलों के लिए सक्षम इकाई होने की सम्भावना के आधार पर पृथक् विकास बैंक गठित करने की मांग है. अत: यह समाधान हो गया है कि लोकहित में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी रूप से सुनिश्चित किये जाने के लिए यह आवश्यक है कि, एक से अधिक राजस्व जिला के कार्यक्षेत्र वाले विद्यमान विकास बैंकों-रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर और बिलासपुर का पुनर्गठन किया जाकर इनके वर्तमान कार्यक्षेत्र के रायपुर/महासमुन्द/धमतरी/राजनांदगांव/कवर्धा/जगदलपुर एवं दन्तेवाड़ा/कांकेर/बिलासपुर/जांजगीर-चांपा एवं कोरबा-राजस्व जिलों के लिए पृथक्-पृथक् जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का गठन किया जाए.

अत: राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पुनर्गठन स्कीम तैयार कर संलग्न की जाती है जिसका क्रियान्वयन किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, विशेष सचिव.

जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के पुनर्गठन की योजना 2001

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :—**

(1) यह जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर और बिलासपुर की पुनर्गठन स्कीम 2001 कहलाएगी.

(2) यह पुनर्गठन स्कीम जारी होने की तारीख से प्रवृत्त होगी.

2. **परिभाषाएं :—** जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,

(ए) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 (1961 का क्र. 17).

(बी) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962.

(सी) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस स्कीम के अधीन एक से अधिक राजस्व जिला कार्यक्षेत्र वाले जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित का पुनर्गठन.

(डी) "विद्यमान विकास बैंक" से अभिप्रेत है, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर और बिलासपुर जैसा कि पुनर्गठन के ठीक पूर्व विद्यमान हो.

(ई) "नवीन विकास बैंक" से अभिप्रेत है, इस पुनर्गठन स्कीम के अधीन पृथक्-पृथक् गठित एवं पंजीकृत जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक-रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, राजनांदगांव, कवर्धा, जगदलपुर, कांकेर, बिलासपुर और जांजगीर-चाम्पा.

(एफ) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा पुनर्गठन की योजना अनुसार नवीन विकास बैंकों के रजिस्ट्रेशन के बाद आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन हेतु घोषित तिथि.

(जी) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, से अनिम्न श्रेणी का अधिकारी.

3. **पुनर्गठन की रीति :—**

यह पुनर्गठन 'विद्यमान विकास बैंकों' का इस प्रकार से विभाजन करके होगा जिससे कि छत्तीसगढ़ राज्य में 'नवीन विकास बैंकों' का गठन एवं पंजीयन हो जाए.

4. **पुनर्गठन की प्रक्रिया :—**

नवीन विकास बैंकों का रजिस्ट्रीकरण होने की तारीख से 6 माह की समयावधि में, जो राज्य शासन के आदेश से समय-समय पर बढ़ायी जा सकेगी, राज्य शासन स्कीम को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित करेगा.

5. **सदस्यता :—**

विद्यमान विकास बैंक के सदस्य उनके पतों के आधार पर उस-उस नवीन विकास बैंक के सदस्य होंगे जिसके-जिसके कार्यक्षेत्र के अधीन आते हों.

6. **रजिस्ट्रीकरण :—**

(1) राज्य शासन के पुनर्गठन हेतु आदेश के अनुपालन में रजिस्ट्रार नवीन विकास बैंकों का रजिस्ट्रीकरण करेगा.

(2) नवीन विकास बैंकों के लिए उपविधियों को भी रजिस्ट्रार अन्तिम रूप से स्वीकृत एवं पंजीकृत करेगा.

(3) विद्यमान विकास बैंक की उपविधियां आवश्यक उपान्तरणों सहित जैसा कि रजिस्ट्रार विनिश्चित करे, नवीन विकास बैंकों के लिए प्रभावी होगी.

7. **प्रबन्ध :—**

(1) नवीन विकास बैंक के पंजीयन होने पर तत्संबंधी विद्यमान विकास बैंक की समिति के सदस्यों के पद रिक्त हो जाएंगे.

(2) नवीन विकास बैंकों का प्रबंध करने के लिए राज्य शासन के अनुमोदन से रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की समिति को अस्थायी रूप से नियुक्त करेगा.

(3) अन्यथा किसी बात के होते हुए भी नवीन विकास बैंक का प्रतिनिधित्व, विद्यमान विकास बैंक के पात्रता धारित करने वाले प्रतिनिधि जिस नवीन विकास बैंक के कार्यक्षेत्र में हो अन्यथा ऐसे बैंक का प्रबंध करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की समिति की दशा में अध्यक्ष, तब तक करेगा, जब तक कि ऐसे प्रतिनिधि का निर्वाचन न हो जाए.

8. **आस्तियां और दायित्व :—**

विद्यमान विकास बैंक की नियत तिथि को विद्यमान आस्तियों और दायित्वों का नवीन विकास बैंकों में परिशिष्ट "अ" पर दर्शित मापदण्डों के अनुसार अनन्तिम विभाजन होगा. नवीन विकास बैंकों के परामर्श उपरान्त पंजीयक आदेश प्रसारित कर अन्तिम विभाजन करेगा.

9. **शक्तियां :—**

नवीन विकास बैंकों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में वह समस्त शक्तियां होगी जो पुनर्गठन के ठीक पूर्व विद्यमान विकास बैंक को थी.

10. **अधिकार, हित और कर्त्तव्य आदि :—**

नवीन विकास बैंकों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अधिकार, हित, कर्त्तव्य, बाध्यताएं और दायित्व उसी अनुरूप होंगे जैसे कि पुनर्गठन के ठीक पूर्व विद्यमान विकास बैंक के थे.

11. **कर्मचारी वृन्द :—**

विद्यमान विकास बैंक के कर्मचारी वृन्द की सेवाओं का प्रावधिक आवंटन नवीन विकास बैंकों में प्रथमत: रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा परन्तु अंतिम आंवटन एक वर्ष की अवधि में नवीन विकास बैंकों से परामर्श करके किया जावेगा.

12. **कर्मचारी वृन्द की सेवा की शर्तें :—**

विद्यमान विकास बैंक के प्रभावशील सेवा नियम नवीन विकास बैंकों के लिए अनन्तिम रूप से आवश्यक उपान्तरणों सहित तब तक लागू रहेंगे जब तक कि नवीन विकास बैंकों के परामर्श से रजिस्ट्रार द्वारा नए सेवा नियम लागू नहीं कर दिए जाएं.

13. विवाद :—

नवीन विकास बैंकों के मध्य इस पुनर्गठन की योजना के अधीन विभाजन से संबंधित उत्पन्न किसी विवाद की दशा में उसका निपटारा प्रथमत: आपसी सहमति द्वारा किया जा सकेगा यदि असहमति हो तो निराकरण हेतु रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने पर उभय पक्ष की सुनवाई करके रजिस्ट्रार द्वारा निराकरण किया जाएगा.

15. अपील :—

रजिस्ट्रार के द्वारा पारित किसी आदेश अथवा किए गए किसी विनिश्चय के विरुद्ध राज्य शासन को 30 दिन के भीतर अपील की जा सकेगी तथा ऐसी अपील में राज्य शासन का निर्णय/आदेश विनिश्चायक तथा आबद्धकर होगा.

संलग्न :— परिशिष्ट 'अ'

(चन्द्रहास बेहार)
विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग.

आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के लिए मापदण्ड

अनु. (1)	मद (2)	विभाजन का आधार (3)
(अ) देयताएं		
1.	चुकता अंशपूंजी	
	राज्य शासन	अन्य सदस्यों की अंशपूंजी का अनुपात
	अन्य सदस्य	वास्तविक
2.	निधियां एवं कोष	सामान्यत: अंशपूंजी का अनुपात, परन्तु किसी या किन्हीं विशिष्ट मामले में रजिस्ट्रार के द्वारा नियत अनुसार.
3.	अमानतें	वास्तविक
4.	ऋण ग्रहण, डिबेंचर	सदस्यों पर ऋण के अनुपात में
5.	अन्य	नवीन विकास बैंकों की आपसी सहमति के अनुसार
(ब) आस्तियां :—		
1.	जमाएं	आनुपातिक समायोजन
2.	नगदी	आनुपातिक समायोजन

(1)	(2)	(3)
3.	विनियोजन	अंशपूंजी का अनुपात
4.	ऋण तथा अग्रिम एवं प्राप्ति योग्य ब्याज.	वास्तविक
5.	वाहन	रजिस्ट्रार के आदेशानुसार, सामान्यत: अंशपूंजी के आधार पर
6.	भूमि	जिस बैंक के कार्यक्षेत्र में स्थित हो.
7.	भवन	नवीन बैंकों से परामर्श पर रजिस्ट्रार द्वारा नियत अनुसार.
8.	अन्य चल सम्पत्तियां	अंशपूंजी का अनुपात
9.	अन्य लेनदारियां	आपसी सहमति के अनुसार

टीप :—पंजीयन के तत्काल बाद कार्य संचालन हेतु प्रारंभिक राशि उपलब्ध कराई जाएगी जिसका समायोजन आस्तियों के विभाजन से किया जा सकेगा.

(चन्द्रहास बेहार)
विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.